(GCF-7+8, 9, 10, VDCF-3 & 4, VCF-3 & 4, SCF-3 & 4)
DATE: 06.10.2020 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3 Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions.
Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) खोई हुई वस्तु को पाने वाले व्यक्ति का दायित्व (Responsibility of finder of goods) – ''एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की खोई हुई वस्तु पाता है और उसे अपने अधिकार में ले लेता है तब ऐसे व्यक्ति के दायित्व एवं अधिकार बिल्कुल एक निक्षेपिती (bailee) के समान ही होते हैं।''

इस प्रकार खोये हुए माल को पाने वाले को– **{3 M}**

(i) सम्पत्ति की पूरी सावधानी रखनी होगी जैसे कि एक साधारण विवेक के व्यक्ति को रखनी चाहिये,
(ii) माल के नियोजन का उसे कोई अधिकार नहीं होगा, तथा
(iii) यदि मालिक मिल जाता है तो माल को उसे वापिस करना होगा।

उपयुक्त वैधानिक प्रावधान के अनुसार प्रबंधक को यह पर्स X को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि X वह पर्स किसी भी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध अपने पास रख सकता है, सिवाय वास्तविक मालिक के। पहला अधिकार वास्तविक मालिक का होता है, परन्तु यदि वास्तविक स्वामी ना मिले तो दूसरा अधिकार वस्तु को पाने वाले व्यक्ति का ही होता है। **{1M}**

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(85) के अनुसार लघु कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जो सार्वजनिक कम्पनी न हो और निम्नलिखित दो शर्ते पूरी करती हो–

1. कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रू. से ज्यादा न हो अथवा उस राशि से ज्यादा न हो जो निर्धारित की जायेगी। परन्तु निर्धारित राशि 10 करोड रू. से अधिक नहीं होगी एवं
2. कम्पनी का टर्नओवर पिछले लाभ–हानि खाते के अनुसार 2 करोड से ज्यादा न हो अथवा उस राशि से ज्यादा न हो जो निर्धारित की जायेगी। परन्तु निर्धारित की गई राशि 100 करोड से अधिक नहीं होगी। **{2 M}**

उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे–

(a) सूत्रधारी तथा सहायक कम्पनी
(b) धारा 8 में पंजीकृत कम्पनी
(c) किसी विशेष अधिनियम के द्वारा संचालित कम्पनी

1. उपरोक्त दशा में एमएनपी प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार पंजीकृत है जिसकी अंश पूंजी 45 लाख रू. है और टर्नओवर 3 करोड रू. है। कम्पनी केवल अंश पूंजी की आवश्यकता को ही पूरा कर रही है दूसरी आवश्यकता टर्नओवर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही इसलिए कम्पनी लघु कम्पनी नहीं कही जा सकती। **{1 M}**
2. यदि कम्पनी का टर्नओवर 1.5 करोड रू. होता तो कम्पनी दोनों आवश्यकता को पूरा कर रही है इसलिए यह कम्पनी लघु कम्पनी मानी जा सकती है। **{1 M}**

Answer:

(c) **साझेदारी बनाम सह–स्वामित्व**

अन्तर का आधार	साझेदारी	सहस्वामित्व
1. स्थापना (Formation)	साझेदारी की स्थापना सदैव विशेष अथवा गर्भित अनुबन्ध द्वारा होती है।	सह–स्वामित्व, किसी समझौते, कानून के प्रयोग से जैसे कि उत्तराधिकार से उत्पन्न होता है।
2. हित की प्रकृति	साझेदारी में एक समान हित होता है। इसका	सह–स्वामित्व में लाभ–हानि को बांटना

{1 M Each}

(Implied Agency)	अर्थ है कि व्यापार में हुए लाभ और हानि को समान भाग में बांटा जायेगा।	आवश्यक नहीं है।
3. निहित एजेन्सी (Nature of Interest)	साझेदारी की स्थिति में प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों का एजेन्ट होता है।	सह–स्वामित्व की स्थिति में, एक सह–स्वामी अन्य सह–स्वामियों का एजेन्ट नहीं होता है।
4. हितों का हस्तान्तरण (Transfer of Intrest)	साझेदारी में हिस्से का हस्तान्तरण अन्य साझेदारों की सहमति से होता है।	सह–स्वामित्व का विघटन सह–स्वामियों की सहमति से किया जाता है। सह–स्वामी अपने हित का हस्तान्तरण अन्य सह–स्वामियों की अनुमति के बिना भी कर सकता है।

Answer 2:

(a) सीमित दायित्व साझेदारी तथा सीमित दायित्व कम्पनी के बीच अन्तर

(Distinction between LLP and LLC)

	अन्तर का आधार	सीमित दायित्व साझेदारी	सीमित दायित्व कम्पनी
1.	नियंत्रणकारी अधिनियम	सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008	कम्पनी अधिनियम, 2013
2.	सदस्य/साझेदार	वे व्यक्ति जो सीमित दायित्व साझेदारी के प्रति योगदान करते हैं वे सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदार के रूप में जाने जाते हैं।	वे व्यक्ति जो शेयर्स में रकम निवेश करते हैं कम्पनी के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं।
3.	आन्तरिक प्रशासनिक ढाँचा	एक सीमित दायित्व साझेदारी का आन्तरिक नियंत्रण ढाँचा साझेदारों के बीच ठहराव से चलता है।	एक कम्पनी का आन्तरिक प्रशासन ढाँचा विधान द्वारा नियंत्रित किया जाता है (Companies Act, 2013).
4.	नाम	सीमित दायिव साझेदारी के नाम के अन्त में Limited Liability Partnership शब्दों का प्रत्यय (Suffix) के तौर पर प्रयोग करना चाहिये।	सार्वजनिक कम्पनी के नाम में शब्द Limited तथा निजी कम्पनी के नाम में Private Limited शब्द आने चाहिये (Suffix के रूप में)
5.	सदस्यों/साझेदारों की संख्या	न्यूनतम : 2 सदस्य अधिकतम : अधिनियम में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सीमित दायित्व साझेदारी के सदस्य व्यक्ति / या समामेलित संस्था हो सकते हैं नामांकित व्यक्ति के माध्यम से।	निजी कम्पनी : न्यूनतम : 2 सदस्य अधिकतम : 200 सदस्य सार्वजनिक कम्पनी : न्यूनतम : 7 सदस्य अधिकतम : कोई ऐसी सीमा नहीं है। सदस्य हो सकते हैं संगठन, प्रयास, कोई अन्य व्यावसायिक स्वरूप या व्यक्ति।
6.	सदस्य/साझेदारों का दायित्व	साझेदारों का दायित्व उनके सहमत अंशदान तक सीमित होता है सिवाय स्वैच्छिक कपट की दशा में।	सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है उनके द्वारा धारित अंशों पर, उच्चतम राशि तक।
7.	प्रबन्ध	कम्पनी का व्यवसाय ठहराव में अधिकृत नामजद साझेदारों के साथ साझेदारों द्वारा प्रबन्धित किया जाता है।	कम्पनी का कामकाज अंशधारकों द्वारा चुने गये संचालक मण्डल द्वारा संभाला जाता है।
8.	संचालकों/नामित सदस्यों की न्यूनतम संख्या	कम से कम 2 नामित साझेदार	निजी कम्पनी : 2 संचालक सार्वजनिक कम्पनी : 3 संचालक

{1 M for each correct 6 points}

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 4(1)(c) के अनुसार कम्पनी की शक्तियाँ निम्न सीमा तक सीमित होती हैं–

(i) वह शक्तियाँ जो कि कम्पनी के सीमानियम के उद्देश्य उपनियम से प्राप्त होती है (जिन्हें स्पष्ट प्रकट शक्ति कहा जाता है) या वह शक्ति होती है जो उसे कम्पनी अधिनियम या अन्य किसी विधान से प्राप्त होती है, और **{1 M}**

(ii) वह शक्तियाँ जो उचित कारणों से अन्य शक्तियों के समरूप है या आवश्यक है ताकि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके (जिनको निहित शक्तियाँ कहा जाता है)

इस अधिनियम में आगे दिया गया है कि वह सारे कृत्य जोकि कम्पनी को प्राप्त शक्ति से अधिक है या बाहर है वह सारे कृत्य शक्ति बाह्य होते हैं और शून्य होते हैं तथा ऐसे कृत्यों की पुष्टि नहीं की जा सकती है चाहे कम्पनी के सारे सदस्य उस कृत्य के लिए अपनी सहमति प्रदान कर देवें (ऐशभुरी रेलवे कैरीज कम्पनी बनाम रिची)। **{1 M}**

कम्पनी का उद्देश्य वाक्य इसके अंशधारकों लेनदारों या अन्य को कम्पनी की शक्तियों को जानने तथा यह जानने में सहायक होता है कि कम्पनी क्या–क्या कार्य कर सकती है या किस क्षेत्र में वह व्यवसाय कर सकती है। इसलिए उद्देश्य वाक्य का इसके अंशधारकों, लेनदारों तथा अन्य के लिए मूलभूत महत्व का होता है। **{1 M}**

कम्पनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और यह कम्पनी के सीमानियम के उद्देश्य वाक्य से प्राप्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता है ।

प्रत्येक आदमी जो कि किसी कम्पनी के साथ नियम पत्र संबंधी कार्य करता है तो यह माना जाता है कि वह आदमी कम्पनी के उद्देश्य वाक्य से अवगत है, उसने कम्पनी के सीमानियम एवं कम्पनी के अन्तर्नियम का निरीक्षण कर लिया है ताकि सही नियम पत्र संबंधी समझौता हो। अगर यह करने में असमर्थ हो जाता है यह पूरी तरह उसकी गलती होगी। **{1 M}**

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी का उद्देश्य वाक्य में बदलाव कम्पनी के सीमानियम को परिवर्तित करके किया जा सकता है (धारा 13)।

M/s. एल.एस.आर. प्राईवेट लि. केवल फल एवं सब्जियों का सीधा व्यापार कर सकती है जोकि उनका उद्देश्य वाक्य है। इस कम्पनी को शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह जे. के साथ साझेदारी करके लोहे और स्टील का व्यवसाय करे। इस कृत्य को किसी भी रूप में कम्पनी को प्राप्त स्पष्ट तथा निहित शक्तियों के अधीन नहीं माना जा सकता है और यह कृत्य मै. एल. एस. आर. प्रा. लि. की प्राप्त शक्तियों से बाह्य है मि. जे. जिसने इस कम्पनी के साथ साझेदारी की थी को उपरोक्त के संदर्भ में यह ज्ञातव्य था कि कम्पनी को ऐसा करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। उपरोक्त के प्रकाश मि. जे. मै. एल.एस.आर. प्राईवेट लि0 से यह अनुबंध या देयता लागू नहीं करवा सकता है न ही उसका अनुपालन करवा सकता है। यह निष्कर्ष गंगा माता रिफाइनरी कम्पनी प्राईवेट लि. के मामले में सी.आई.टी. द्वारा किये फैंसले द्वारा समर्थन पाता है। **{2 M}**

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी का उद्देश्य वाक्य में बदलाव कम्पनी के सीमानियम को परिवर्तित करके किया जा सकता है। (धारा 13)

Answer 3:

(a) **{**भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 44 के अनुसार A अनुसार ''वरूण व तरूण को यह सलाह दी जाती है कि वह न्यायालय में याचिका दायर करके फर्म का समापन करावा दे फर्म को हो रही लगातार हानि न्यायालय द्वारा समापन का एक कारण है।**}{2 M} {**यदपि फर्म 5 साल तक की अवधि की बनी थी। इसलिए इसे बिना सर्वसहमति के समाप्त नही किया जा सकता न्यायालय द्वारा समापन एक मात्र उपचार है।**}{2 M}**

Answer:

(b) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 37 के अनुसार – ''यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या साझेदार नही रहता और खातों का निपटारा नही किया जाता है तो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी और सेवानिवृत साझेदार को दो अधिकार मिलेगें:– **{2 M}**

A. वह लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता।

B. 60 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है। (जो भी लाभदायक हो)

– इस मामले में A के उत्तराधिकारी के पास दो विकल्प होगे
A. 20 प्रतिशत लाभ में हिस्सा ले लो (साझेदारी संलेख के अनुसार) अथवा
B. 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ले सकता है। **{2 M}**

Answer:

(c) वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16 के तहत् कोई भी वस्तु किसी निहित कार्य के लिए उपयुक्त है इस बात का चयन स्वंय क्रेता करता है। वह अपने गलत चयन के लिए विक्रेता को दोषी नहीं ठहरा सकता।

केवल निम्न परिस्थिति में विक्रेता को दोषी बनाया जा सकता है। **{3 M}**

(1) क्रेता ने माल खरीदने का उद्देश्य बताया हो।
(2) क्रेता ने विक्रेता की पसन्द पर भरोसा किया हो।
(3) विक्रेता सामान्यता उसी प्रकार की वस्तु को बेचता हो।

उपरोक्त मामले में क्योंकि श्री यादव ने कपड़े खरीदते समय अपने उद्देश्य का खुलासा नहीं किया था इसलिए उन्हें कोई विक्रेता के विरूद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। **{1M}**

Answer 4:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 में अनुबंध भंग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब अनुबंध भंग होने के कारण एक पक्ष को हानि हो तो वह पक्ष अनुबंध भंग के लिए दोषी पक्ष से प्राकृतिक रूप से सौदों के सामान्य व्यवहार के अन्तर्गत अनुबंध भंग के कारण होने वाली हानि, जो अनुबंध करते समय दोनों पक्षों की जानकारी में थी, प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार का हर्जाना दूर के किसी कारणवश अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि के लिए नहीं दिया जाता। इस धारा के स्पष्टीकरण में आगे बताया गया है कि हानि का अनुमान लगाते समय उन साधनों को ध्यान में रखा जाए जो अनुबंध भंग से होने वाली हानियों या असुविधा को कम कर सकते थे। **{3 M}**

उपर्युक्त कानून के सिद्धान्त को प्रश्न में पूछी गयी समस्या पर लागू करते हुए M लि. अनुंबध भंग के कारण प्राकृतिक रूप से हुई रू. 1.25 लाख (रू. 12.75 – 11.50 = रू. 1.25) की हानि को पूरा करने के लिए दायी है। **{$1^{1/2}$ M}**

शान्ति ट्रेडर्स द्वारा जैनिथ ट्रेटर्स को दिये जाने वाले हर्जाने के सम्बंध में दिये जाने वाली हर्जाने की राशि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्या M लि. को शान्ति ट्रेडर्स द्वारा निर्दिष्ट तिथि को जैनिथ ट्रेडर्स को दी जाने वाली मशीनरी के अनुबंध की जानकारी थी? यदि जानकारी थी तो M लि. को शान्ति ट्रेडर्स द्वारा जैनिथ ट्रेडर्स को दिये जाने वाले हर्जाने की भी भरपाई करनी होगी अन्यथा M लि. दायी नहीं है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(b) नीलामी विक्रय (AUCTION SALE) धारा – 64

- एक 'नीलामी विक्रय' सार्वजनिक तौर पर बोलियाँ आमंत्रित करके सम्पत्ति के बेचने का एक तरीका है। **{1M}**
- सम्पत्ति को सबसे ऊँची बोली देने वाले को बेचा जाता है।
- एक नीलामीकर्त्ता एजेन्सी सन्नियम द्वारा संचालित एक एजेन्ट होता है।
- जब वह बेचता है तो वही विक्रेता का एकमात्र एजेन्ट होता है।
- जब माल को ढेरियों में विक्रय के लिये रखा जाता है, तब थोक माल की प्रत्येक ढेर प्रथम साक्ष्य में वस्तु विक्रय का पृथक अनुबन्ध माना जाता है।
- विक्रय को उस समय पूर्ण माना जाता है जब नीलामकर्त्ता इसके पूर्ण होने की घोषणा हथौड़े मार कर अथवा किसी अन्य रीति से करता है। जब तक ऐसी घोषणा नहीं की जाती कोई भी बोली लगाने वाला अपनी बोली वापिस ले सकता है। **{1 M for each correct 5 points}**
- जब तक स्पष्ट रूप से कोई ऐसा अधिकार सुरक्षित या घोषित न किया गया हो, विक्रेता या उसका एजेन्ट अपने माल की नीलामी पर बोली नही लगा सकता और जहाँ इस प्रकार का अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखा जाता है एवं अन्य किसी दूसरे प्रकार से नही, तब विक्रेता अथवा उसके एजेन्ट को नीलामी के दौरान बोली लगाने का अधिकार है।

- जहाँ विक्रय विक्रेता के बोली लगाने के अधिकार के अन्तर्गत अधिसूचित नही है तब विक्रेता के लिए स्वयं बोली लगाना अथवा किसी व्यक्ति को उस विक्रय के दौरान बोली लगाने के लिए नियुक्त करना, वैध नही होगा अथवा नीलामकर्ता द्वारा जानबूझकर विक्रेता को अथवा प्रतिनिधित्व करने वाले एजेन्ट की बोली स्वीकार करना वैध नही होगा। इस नियम का उल्लघंन करने वाली किसी विक्रय कार्यवाही को क्रेता कपट पूर्ण मान सकता है।
- विक्रय को किसी सुरक्षित अथवा परिवर्तित राशि के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है।
- यदि मूल्य वृद्धि के लिए विक्रेता बोली लगाने का बहाना करता है, तब विक्रय क्रेता के चयन पर व्यर्थनीय होगा।

Answer 5:

(a) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(68) के अनुसार प्राईवेट कम्पनी से आशय वह कम्पनी जिसकी न्यूनतम अंशपूंजी उतनी होगी जो निर्धारित की जायेगी और केवल एक व्यक्ति को छोडकर उसमें सदस्यों की सीमा 200 तक रहेगी। परन्तु दो लोगो ने संयुक्त नाम से अंश ले रखे है तो उन्हें एक ही माना जायेगा। कम्पनी के कमचारियों को तथा कम्पनी के पुराने कर्मचारियों को 200 सदस्यों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। **{2 M}**

कम्पनी को सदस्यों की सीमा में कटौती नहीं करने पडेगी क्योंकि कम्पनी के सदस्य 200 ही होते है। जो निम्नलिखित रूप से बताऐ गये है– **{2 M}**

निदेशक और उनके रिश्तेदार	=	190
5 जोडे (5 x 1)	=	5
अन्य	=	5
कुल	=	200

अतः यहा पर सदस्यों की संख्या में कमी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सदस्यों की संख्या 200 तक ही है।

Answer:

(b) कम्पनी नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार जब तक एक सदस्य कम्पनी को पंजीकृत हुए 2 वर्ष नहीं हो जाते तब तक वह अन्य किसी कम्पनी में परिवर्तित नहीं हो सकती सिवाय यदि कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रू. से ज्यादा हो जाये अथवा कम्पनी का टर्नओवर जो की औसत वार्षिक टर्नओवर होगा वो 2 करोड से ज्यादा हो जाये। **{2 M}**

दी गई समस्या में मि. अनिल ने एक एकल व्यक्ति कम्पनी 16 अप्रेल 2018 को बनाई है, और इसका वार्षिक आर्वत (Turnover) 2.25 करोड़ है, जबकि कम्पनी को बने हुए 2 साल का समय नहीं हुआ है परन्तु इसका वार्षिक औसत आर्वत (Turnover) 16 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में 2 करोड़ से ज्यादा है। मि. अनिल इसलिये इस कम्पनी को निजी कम्पनी में सुनील के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। **{2 M}**

Answer:

(c) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 25 के अनुसार ''साझेदारों के दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनो होते है। **{1 M}**

– साझेदारी में साझेदारों के दायित्व असीमित होते है। उनकी निजी सम्पति का प्रयोग भी फर्म ऋणों के भुगतान में प्रयोग लिया जा सकता है। एक साझेदार द्वारा पूरे ऋण का भुगतान भी किया जा सकता है। बाद में वह अन्य साझेदारों से अंशदान की मांग कर सकता है परन्तु एक बार तो उसे लेनदार को पूरा भुगतान करना पडता है। क्योंकि दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनो होते है। **{2 M}**

– इस मामले में पारूल, अनुराग को पूरे ऋण को भुगतान के लिए विवश कर सकती है और अनुराग को भुगतान करना पडेगा। बाद में वह रोहित की सम्पत्ति से उसका हिस्सा वसूल कर सकता है। **{1 M}**

Answer 6:

(a) वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार जब, कोई वस्तु क्रेता को ''विक्रय या वापसी'' के आधार पर दी जाती है तो विक्रय निम्न दशाओं में मान लिया जाता है। **{3 M}**

(1) क्रेता क्रय के लिए अपनी सहमती दे दे।
(2) वह उचित समय बीत जाने के बाद भी माल पुनः ना लौटाये।
(3) कोई ऐसा कार्य करे जो यह दर्शता हो, उसने माल स्वीकार कर लिया है जैसे गिरवी, निक्षेप आदि।

उपरोक्त मामले में जोशी ने जैसी ही कार श्री गणेश को गिरवी रखी, वह कारके मालिक बन गए और अब प्रीति कार वापिस नहीं मांग सकती, हालाकि प्रीति को अधिकार है कि वह कार की कीमत जोशी से प्राप्त करें। **{2 M}**

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 41 के अनुसार जब वचनग्रहीता एक वचन का निष्पादन किसी तीसरे पक्ष से स्वीकार कर लेता है तो वह वाद में वचनदाता के विरूद्ध इसे लागू नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, वचनग्रहीता द्वारा अजनबी से निष्पादन स्वीकार करना अनुबंध के वचनदाता को मुक्त कर देता है, यद्यपि वचनदाता ने न तो तीसरे पक्ष के कार्य को अधिकृत किया था और न ही इसका पुष्टिकरण किया था। **{3 M}**

इसलिए B, A पर केवल (10,000 – 6,000) रू. 4,000 के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) **{**हॉ, B, X की सम्पत्ति के विरूद्ध दावा कर सकता है।**}{1 M} {**भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की **धारा 68** के अनुसार, ''यदि अनुबंध करने के अयोग्य किसी व्यक्ति को अथवा उस पर आश्रित किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसके जीवन–स्तर के अनुसर जीवन की आवश्यक वस्तु की आपूर्ति करता है तो वह ऐसे अयोग्य व्यक्ति की सम्पत्ति में से उन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है।'' चूंकि X को दिया गया ऋण उसके जीवन–स्तर के अनुसार जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था, उसकी सम्पत्ति के विरूद्ध B के द्वारा दिये गये ऋण की वसूली के लिए दावा किया जा सकता है।**}{2 M}**

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) **Gender barriers-** Men and women communicate differently. The reason for this lies in the wiring of a man's and woman's brains. Men talk in a linear, logical and compartmentalized manner whereas the women use both logic and emotion, and are more verbose. This may be the cause of communication problem in an office where both men and women work side by side. Men can be held guilty of providing insufficient information, while women may be blamed for providing too much detail. **{2 M}**

Gender bias is another factor in communication barriers. Due to traditional mindsets, many men find it difficult to take orders from, or provide information to women. **{1 M}**

Answer:

(b)
1. The country is covered by the corporation's sales and service organization.
2. Their new dental equipment is only being marketed by FCS in Europe.

{1 M Each}

Answer:

(c)
1. Ans. A
2. Ans. D
3. Ans. B
4. Ans. B
5. Ans. C

{1 M Each}

Answer 8:

(a)
1. The critics have praised his painting.
2. We should not eat food from toad side vendors.
3. The farmer is purchasing the horse.

{1 M Each}

Answer:

(b) Employees in organization interact with each other outside the formal domain. Such communication is called 'grapevine' – gossip in the office. Employees of different departments and varied levels meet and discuss matters casually and informally. The grapevine satisfies the social needs of the people and helps in building relationships. It is also useful in addressing certain needs and grievances of employees. **{2 M}**

Answer:

(c)
(1) Risk Management
- 1) Wht is risk mngmnt
- 2) Relvncy of MR in comrcialbsines
  - a- Fluctuation-
  - b- Primary concern

{1 M}

(2) How many kinds of MR
- a) Intrnt rate rsk
- b) Fornexchngrsk
- c) Commdtyrsk
- d) Equtyrsk

{1 M}

(3) Equtyrsk occurs when

(4) D prmry concern of MR

{1 M}

Key:
Wht-What
Mngmnt- management
Relvncy- Relevancy
MR- Market Risk
Comrcial- Commercial
Bsness- business
Intrnt- Intenet
Rsk-risk
Forn-foreign
Exchng-exchange
Commdty-commodity
Equty- equity
d-the
prmry- primary

{2 M}

Answer 9:

(a) (i) Ans. a
(ii) Ans. b
(iii) Ans. b

{1 M Each}

Answer:

(b) **Diagonal:** Cross-functional communication between employees at different levels of the organizational hierarchy is described as diagonal communication. Diagonal communication is increasingly common in larger organizations. It reduces the chances of distortion or misinterpretation by encouraging direct communication between the relevant parties. For example, a junior engineer reports directly to the General Manager regarding the progress on the project. {2 M}

Answer:

(c)

- The world economy is facing 2 major challenges- unemployment and poverty.
- Financial crisis caused by unemployment leads to an overall purchasing power resulting in poverty followed by an increasing burden of debt.
- In India, the problems of underemployment, unemployment and poverty have always been the main hindrances to economic development.
- Another colossal problem is the large population.
- A critical aspect is the regional disparity.
- Mass migration from rural to urban regions is adding to the problems of unemployment and poverty.
- Economic reforms, changes in the industrial policy and better utilization of available resources will reduce the problem.
- The government must initiate long term measures for poverty alleviation.

{Any 5 points each 1 M}

Answer 10:

(a) **Wheel & Spoke Network:**
This is an organization where there is a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him/her. All employees get instructions directly from the leader and report back to him/her. It is direct and efficient for a small business / company, but inappropriate way of communication in a large organization with may people. A company with many employees needs more decision makers or nothing would get done. Can a large conglomerate like Reliance {2 M}

or Tata Sons have one person making decisions? Moreover, if the central figure is not competent, the entire business will suffer. {1 M}

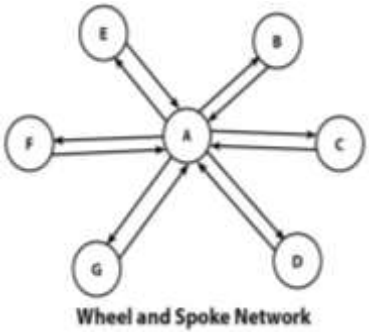

Wheel and Spoke Network

Answer:

(b) 1. She said that nobody could solve the problem.
2. He says that Kashmir is heaven on earth. {1 M Each}

Answer:

(c) Date: July 09, 2019
Venue: Conference Hall, 2nd Floor,
Meeting Started at 02:00 PM {1 M}

In attendance: Mr. Ram Swaminathan, Head, Sales and Marketing, Mr. Prabhu Das, Product Head, Product lead, four members of the sales team.
Mr. Ram Swaminathan, Head of Sales and Marketing informed the agenda of the meeting i.e., the sales decline in the product. {1 M}

Ms. Reena Mathur, Sales lead gave a detailed analysis of the sales figures for the one year.
Her team including Mr. A. Mr. B, Ms. C, Ms. D elaborated on the market trend target customers and their needs. {1 M}

Mr. Prabhu Das, Product Head expressed concern over the matter, discussed a few changes in the sales strategy.
All the participants contented to the concerns raised and decided to submit their reports. {1 M}

The Head of Sales and Marketing proposed a vote of thanks and declared the next meeting to discuss reports to be held on August 02, 2019.
ATR to be submitted by July 26, 2019 to the Head Sales and Marketing. {1 M}

Answer 11:

(a) (i) Ans. a
(ii) Ans. b
(iii) Ans. b {1 M Each}

Answer:

(b) Coherent: Coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences, and paragraphs. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another and uses contradictory words to express himself. The key to coherence is sequentially organized and logically presented information which is easily understood. All content under the topic should be relevant, interconnected and present information in a flow. {2 M}

Answer:

(c)

Date: August 09, 2019

To,
The HR ROCA
Bhiwadi, Rajasthan-243466

Subject: Application for the Post of Chartered Accountant

Dear Sir/Ma'am,

I am very interested in the 'Chartered Accountant' position at ROCA, advertised in the employment news on Monday, August 06, 2019. I have more three years teaching experience in different reputed organisations. I feel that I would be an excellent candidate.

My CV is enclosed summarising where my skills and abilities have been developed. I would welcome the opportunity to discuss my background with you further. May I have an interview with you at your earliest convenience? Please contact me at xxxxxxxxxx or at xyz@gmail.com.

I look forward to hearing from you.

Thanks & Regards!!

Sincerely,

Anil Mishra
CA

{2 M}

Curriculum Vitae

Anil Mishra
Chartered Accountant
XYZ Company
NCR
Phone: +91- xxxxxxxxxx
E-mail: xyz@gmail.com

Profile/ Objective:

- Hardworking, punctual and dedicated individual seeking in accounting. Possesses strong leadership and team management skills. A problem solver who is able to calmly deescalate situations and work towards favourable outcomes for all involved. Passionate, knowledgeable and giving.

{3 M}

Educational Qualifications:

- Completed CA in the batch 2013-17
- 10+2, from CBCE, New Delhi, 2012, with 1st Division.
- 10th from CBCE, New Delhi, 2010, with 1st Division.

Award/Achievements:

- Got prize for standing first in Linguistics, B.A. at B.H.U.

Administrative Experience:

- Administrative Warden at Rajshree Institute of Management & Technology, Bareilly, U.P.
- Chief Proctor at Navyug Mahavidyalaya, Badshahpur, Jaunpur, U.P.

- Venue Coordinator in the 11thICOSAL-11 organized by Department of Linguistics, Banaras Hindu University from 23, Jan.-25, Jan. 2014.

Professional Skills:

Accountancy, Auditing, Proficient in MS-Office & Web Browsing, English typing 40 w/m

Cultural/ Social Activities:

- Participated as Volunteer in Durgotsav Puja at DKY Public School, from 2004-09, 2013- 16.
- Venue Coordinator of 'Sanskriti' Cultural Event at DKY Public School in 2008.
- Actively Participated in all the major social & cultural events organized by School.

Language Known:

- English, Hindi, Punjabi, Marathi, (Comm.)

Workshop/Training Programme/Academic Participation:

- Participated in Short Term Programme (STP), on 'Forensic Auditing' at regional centre, Kolkata, from 01-06 Oct., 2018.
- Participated in National on xyz at xyz from ……
- Participated in International Lecture on "LEARN TO FIND YOUR HIDDEN TALENT" delivered by Geshe Michael Roach, at Bharat Adhyayan Kendra, B.H.U. Varanasi, (INDIA), on 13 Feb. 2017.
- Participated in Human Value "Harmony" workshop organized by IIT , B.H.U., Varanasi from 31 Jan.-03 Feb. 2016.
- Participated in One-week workshop on Accounting at regional centre, Mumbai, from 12 Jan.-21 Jan. 2016.

REFERENCES: Can be provided on request.

DECLARATION: I solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place: (Manish Reddy)

__**__